सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/3715/2011–12 दिनांक 25 अक्टूबर, 2011

विषयः मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 631/2004 एन्वायरमेन्टल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउन्डेशन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य के सम्बन्ध में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 631/2004 एन्वायरमेन्टल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउन्डेशन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2011 में यह निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 30 नवम्बर, 2011 तक समस्त विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से दिनांक 24.11.2011 के पूर्व प्रति–शपथपत्र के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाना है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 के पत्रांक शि0नि0(बे)/17930–18090/2011–12 दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 द्वारा भी आपको विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसी क्रम में दिनांक 23.10.2011 को आयोजित जिला समन्वयक (नि0का0) की समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी तथा जिला समन्वयक(नि0का0) को पंचायती राज विभाग से प्राप्त शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी तथा स्पष्ट निर्देश दिये गये।

..........2/–

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; [illegible]

उपर्युक्त सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः

1. वर्ष 2006 के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित परिषदीय प्राथमिक एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की इकाई लागत में शौचालय की धनराशि दी गयी है। अतः इनमें शौचालय का निर्माण यदि अधूरा हो तो तत्काल पूर्ण कराया जाये तथा प्रगति से अवगत कराया जाये।
2. वर्ष 2006 से पूर्व के परिषदीय प्राथमिक एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाना है। इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग से प्रगति प्राप्त कर प्रगति से अवगत कराया जाये।
3. यदि कोई शौचालय लघु मरम्मत के कारण प्रयोग में न हो तो मरम्मत एवं रख–रखाव मद में उपलब्ध धनराशि से शौचालय के लघु मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाये।
4. नगर क्षेत्र के वे विद्यालय जिन्हें वर्ष 2010–11 में शौचालय निर्माण हेतु धनराशि दी गयी है, यदि उनमें शौचालय का निर्माण अपूर्ण है, तो उपलब्ध करायी गयी धनराशि से शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।
5. नगर क्षेत्र के शौचालय विहीन विद्यालयों के सम्बन्ध में तत्काल यह अवगत कराया जाये कि विद्यालय स्वयं के भवन में है अथवा किराये के भवन में है, इन दोनो प्रकार के भवनों में शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इसकी सूचना दिनांक 31.10.2011 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
6. शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय के निर्माण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ बैठक आहूत कर ली जाये, जिससे इस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरण पर समन्वय करते हुए कार्य को दिनांक 10.11.2011 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।

अतः उक्त बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए प्रगति से प्रति सप्ताह राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,

25/10/11

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/3715/2010–11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/10/11

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक